

अध्याय—३

अध्याय–3

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गए लेनदेन की नमूना जाँच के आधार पर 11 कपिडकाएँ सम्मिलित की गई हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रतिबद्धता के तहत व्यय की जाने वाली आवश्यक ₹ 9.33 करोड़ राशि में से ₹ 6.13 करोड़ राशि व्यय करने में विफल रहे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का अनुपालन करने हेतु कम्पनियों के अहकारी मानदंड एवं सीएसआर के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है। अधिनियम को कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (सीएसआर नियम) के माध्यम से लागू किया गया है।

अधिनियम एवं सीएसआर नियम वर्ष 2014–15 से प्रभावी हैं और किसी वित्तीय वर्ष में ₹ 1000 करोड़ या उससे अधिक के वार्षिक टर्नओवर या ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की नेट वर्थ या ₹ 5 करोड़ या अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों पर लागू हैं। इन कम्पनियों को पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में हुए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों पर व्यय करना होता है। निर्धारित व्यय करने में असफल रहने की स्थिति में कम्पनियों के निदेशक मंडल को उनके वार्षिक प्रतिवेदन में इसके कारणों को उल्लेखित करना होता है।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उपक्रम) पर अधिनियम एवं सीएसआर नियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन किया और पाया कि 52 कार्यशील उपक्रमों में से 16¹ उपक्रम सीएसआर प्रावधानों के दायरे में आ रहे थे। दो² उपक्रमों ने सीएसआर प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया, जबकि अन्य दो³ उपक्रमों के लेखे लंबित होने के कारण उनके द्वारा किये गए अनुपालन का परीक्षण नहीं किया जा सका। शेष 12 उपक्रमों की स्थिति को नीचे तालिका क्र. 3.1 एवं 3.2 में विस्तृत किया गया है :—

¹ मध्य प्रदेश राज्य खनन विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसपडीसी), मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी), मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरवीएन), मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड (एमपीएकेवीएन), मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एमपी एग्रो), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीएसएल), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीपूर्वक्षेत्रिक), मध्य प्रदेश परिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीपरिचमक्षेत्रिक), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीमध्यक्षेत्रिक), मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीजेनको), मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएससीएससी), मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एमपीएचसी)।

² मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

³ मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसआरडीसी) और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एमपीएलयूएन): वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लेखे मार्च 2017 तक नहीं बनाये गये थे।

तालिका क्र. 3.1						
(₹ करोड़ में)						
क्रमांक	कमी / अनुपालन की प्रकृति	अधिनियम/ सीएसआर नियम का प्रावधान	उपक्रम का नाम	वर्ष जिसमें अनुपालन नहीं हुआ	सीएसआर पर व्यय की जाने वाली वर्षवार आवश्यक राशि	वर्षवार कम व्यय की गई राशि
1.	सीएसआर गतिविधियों पर कम व्यय - ₹ 6.13 करोड़	कम्पनी अधिनियम की धारा 135(5)	1.1 एमपीआरडीसी	2014–15	0.59	0.59
				2015–16	0.82	0.82
			1.2 एमपीएससीएससी	2014–15	0.05	0.05
			1.3 एमपीएकेवीएन, भोपाल	2015–16	0.17	0.17
			1.4 एमपीपीटीसीएल	2015–16	0.06	0.01
			1.5 एमपीएसएमडीसी	2014–15	1.15	0.64
				2015–16	1.57	1.36
			1.6 एमपीआरवीवीएन	2014–15	1.13	0.30
				2015–16	1.35	निरंक
			1.7 एमपी एग्रो	2014–15	0.92	0.92
				2015–16	0.93	0.68
			1.8 एमपीपीएचसी	2014–15	0.14	0.14
				2015–16	0.23	0.23
			1.9 एमपीएसईडीसी	2014–15	0.07	0.07
				2015–16	0.15	0.15
योग					9.33	6.13

तालिका क्र. 3.2				
क्रमांक	कमी / अनुपालन की प्रकृति	अधिनियम/ सीएसआर नियम का प्रावधान	उपक्रम का नाम	वर्ष जिससे अनुपालन नहीं हुआ
1.	सीएसआर नीति का न बनाया जाना	कम्पनी अधिनियम की धारा 135(3)	2.1 एमपीपूर्वकेविविकं	2014–15
			2.2 एमपीपश्चिमक्षेविविकं	2014–15
			2.3 एमपीमध्यक्षेविविकं	2014–15
			2.4 एमपीपीएचसी	2014–15
2.	सीएसआर नीति में निगरानी तंत्र निर्दिष्ट करने में विफलता	सीएसआर नियम का नियम 6(1)(ब)	3.1 एमपीआरडीसी	2014–15
			3.2 एमपी एग्रो	2014–15
3.	उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट ⁴ प्राप्त न करना – ₹ 1.53 करोड़	सीएसआर नियम का नियम 4(2)(ii)	4.1 एमपीआरवीवीएन	2014–15 (₹ 0.09 करोड़)
				2015–16 (₹ 0.69 करोड़)
			4.2 एमपी एग्रो	2015–16 (₹ 0.25 करोड़)
			4.3 एमपीपीटीसीएल	2015–16 (₹ 0.05 करोड़)
			4.4 एमपीआरडीसी	2014–16 (₹ 0.26 करोड़)

सीएसआर के तहत व्यय में कमी के संबंध में नौ उपक्रमों में से क्र. संख्या 1.1 से 1.8 के तहत उल्लेखित, आठ उपक्रमों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और

⁴ कम्पनी को क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना पर किए जाने वाले धन के उपयोग के तौर–तरीकों को निर्दिष्ट करना था।

उत्तर दिया कि कमी की मात्रा या तो बाद के वित्तीय वर्षों में व्यय कर ली गई है अथवा की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुपालन न करने वाले उपक्रमों के निदेशक मंडल (बीओडी), अधिनियम की धारा 135(5) के तहत सीएसआर गतिविधियों पर अनिवार्य राशि व्यय न करने के कारणों को निर्दिष्ट करने में विफल रहे।

इसके अलावा, एमपीएसईडीसी (क्रम संख्या 1.9) ने उत्तर दिया कि वर्ष 2014–15 में किसी भी राशि का व्यय करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि धारा 198 के अनुसार गणना की गई शुद्ध लाभ की राशि ₹ 5.00 करोड़ से कम थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमपीएसईडीसी का शुद्ध लाभ 2013–14 (₹ 5.91 करोड़) और 2014–15 (₹ 12.86 करोड़) के दौरान ₹ 5.00 करोड़ से अधिक था। इसलिए अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर के प्रावधान 2014–15 से एमपीएसईडीसी के लिए लागू हो गए और तदनुसार उसे बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभ का दो प्रतिशत (धारा 198 के तहत आंकित) व्यय करना आवश्यक था।

अतः सीएसआर नीति के न बनाने के साथ–साथ उपक्रमों के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय करने में हुई कमी ने सीएसआर नीति के परिकल्पित लाभों से वंचित रखा।

मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड

3.2 रियायतग्राही से बकाया राशि की वसूली न होना

रियायत अनुबंध का उल्लंघन कर रियायतग्राही को ₹ 14.98 करोड़ का वायबिलिटी गेप फंडिंग अनुदान दिया गया। इसके अलावा कम्पनी ने ₹ 2.57 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क की वसूली नहीं की।

मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी (मई 2006) दिशानिर्देशों के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तर्ज पर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के विकास के लिए रियायतग्राहियों के साथ रियायत अनुबंध निष्पादित करती है।

भारत सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार और सांविधिक प्राधिकरणों, जो कि अंतर्निहित संपत्तियों के मालिक हैं, के द्वारा प्रस्तावित पीपीपी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक योजना अधिसूचित की (जनवरी 2006)। इस योजना के तहत पीपीपी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से सहायता देने के लिए वायबिलिटी गेप फंडिंग (वीजीएफ) को पूँजी अनुदान⁵ के रूप में प्रदान किया जाना था।

कम्पनी ने मेसर्स एमबीएल हाईवे डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ, सिवनी-कटंगी रोड के विकास को 20 फरवरी 2014 तक पूर्ण करने के लिए डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर एक रियायत अनुबंध निष्पादित किया (सितम्बर 2011)। ₹ 211.60 करोड़ की परियोजना लागत को रियायतग्राही की अंशपूँजी (₹ 51.10 करोड़), वीजीएफ अनुदान (₹ 30.50 करोड़) और वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 130 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था। वीजीएफ अनुदान रियायतग्राही को उसकी पूरी अंशपूँजी निवेश करने के बाद देय था

⁵ एक बार में या स्थागित अनुदान जो कि पूँजी सब्सिडी की सबसे कम बोली के बराबर होता है, लेकिन कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक।

और ऋण राशि के साथ आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना था। रियायत अनुबंध के वाक्य 23.3 के अनुसार, कम्पनी द्वारा भुगतान किये गए स्वतंत्र अभियंता (आईई) शुल्क के आधे भाग की प्रतिपूर्ति रियायतकर्ता द्वारा की जानी थी। रियायत अनुबंध के वाक्य 25.2.4 के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा अनुबंध में उल्लेखित परियोजना माइलस्टोन की उपलब्धि या कम्पनी की बकाया राशि के भुगतान में चूक करने की स्थिति में वीजीएफ का संवितरण तब तक निलंबित कर दिया जाता, जब तक कि रियायतग्राही द्वारा इस चूक को ठीक नहीं कर लिया जाता।

चूंकि रियायतग्राही ने कार्य प्रारंभ नहीं किया और आईई शुल्क की बकाया राशि का भुगतान करने में भी असफल रहा, कम्पनी ने रियायत अनुबंध के वाक्य 37.1.2⁶ के तहत रियायतग्राही को निरस्तीकरण नोटिस जारी किया (मार्च 2013)। हालांकि, कार्य प्रारम्भ करने के लिए रियायतग्राही के आश्वासन (मार्च 2013) पर विचार करते हुए, कम्पनी ने रियायत अनुबंध को निरस्त नहीं किया। तदोपरांत, रियायतग्राही द्वारा परियोजना माइलस्टोन⁷ प्राप्त न कर पाने और आईई शुल्क की बकाया राशि (₹ 2.57 करोड़) का भुगतान न करने के कारण, कम्पनी ने एक और निरस्तीकरण नोटिस जारी किया (अगस्त 2016) और अंततः अनुबंध को समाप्त कर दिया (नवंबर 2016)। कम्पनी ने शेष कार्य को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन⁸ (ईपीसी) आधार पर अन्य ठेकेदार को ₹ 92.50 करोड़ में दिया (फरवरी 2017) जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित था। ईपीसी मोड में अन्तरण करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2017) कि 31 मार्च 2016 तक रियायतग्राही ने परियोजना में पूरी अंशपूँजी (₹ 51.10 करोड़) निवेश किया था और वीजीएफ योजना के तहत वीजीएफ की पहली किश्त जारी करने के लिए कम्पनी से अनुरोध किया था (मई 2016)। रियायतग्राही द्वारा परियोजना माइलस्टोन⁹ हासिल करने में निरंतर चूक और आईई शुल्क की देय राशि का भुगतान न करने के बावजूद कम्पनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) ने ₹ 14.98 करोड़ का वीजीएफ जारी करने के लिए भारत सरकार को यह कहते हुए अनुशंसा करी (मई 2016) कि रियायतग्राही ने परियोजना में अपनी पूरी अंशपूँजी और 49.11 प्रतिशत¹⁰ ऋण राशि निवेश कर दी है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 14.98 करोड़ का वीजीएफ रियायतग्राही के एस्क्रो खाते में सीधे जारी किया गया (जून 2016)।

वीजीएफ को जारी किया जाना अनुबंध के वाक्य 25.2.4 का उल्लंघन था क्योंकि रियायतग्राही परियोजना माइलस्टोन प्राप्त करने और कम्पनी के बकाया के भुगतान करने में असफल रहा। रियायतग्राही से आईई शुल्क की बकाया राशि (₹ 2.57 करोड़) का कम्पनी द्वारा अपलेखन किया गया (मार्च 2017)। इसके अलावा, चूंकि कम्पनी ने शेष कार्य को पीपीपी आधार के बजाय ईपीसी आधार पर कराने की व्यवस्था की, अतः पीपीपी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वीजीएफ

⁶ अनुबंध के वाक्य 37.1.2 के अनुसार कम्पनी रियायतग्राही को उसकी चूक के लिए नोटिस के माध्यम से सूचित करने के बाद अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस जारी करने और उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय देने की हकदार थी।

⁷ 20 फरवरी 2014 तक पूर्ण किये जाने वाले निर्धारित 100 प्रतिशत कार्य के विरुद्ध, रियायतग्राही ने 31 अगस्त 2016 तक मात्र 55.39 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया।

⁸ परियोजना को क्रियान्वित करने की एक ऐसी अनुबंध व्यवस्था, जिसमें कि ठेकेदार डिजाइन, क्रय, निर्माण से स्थापना तक के सभी कार्य और परियोजना को कम्पनी को हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

⁹ 20 फरवरी 2014 तक पूर्ण किये जाने वाले निर्धारित 100 प्रतिशत कार्य के विरुद्ध, रियायतग्राही ने 30 अप्रैल 2016 तक मात्र 51 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया।

¹⁰ ₹ 130.00 करोड़ की कुल ऋण राशि में से ₹ 63.834 करोड़।

योजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा और शेष कार्य को ईपीसी आधार पर पूर्ण कराने के लिए अब मध्य प्रदेश शासन की निधि (₹ 92.50 करोड़) का उपयोग किया जा रहा है।

कम्पनी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2017) कि वीजीएफ को रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया था। आगे यह भी जवाब दिया गया कि रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की लागत (₹ 67.09 करोड़) वीजीएफ और बकाया आईई शुल्क से अधिक थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा गलत अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने वीजीएफ जारी किया। यह उत्तर कि रियायतग्राही द्वारा निष्पादित कार्य की लागत वीजीएफ और आईई शुल्क की मात्रा से अधिक थी, प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कार्य को ₹ 92.50 करोड़ की लागत से ईपीसी आधार पर फिर से व्यवस्थित किया गया जिसका वहन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, कम्पनी को आईई शुल्क ₹ 2.57 करोड़ की हानि उठानी पड़ी क्योंकि इसे कार्य की लागत से समायोजित नहीं किया जा सका।

प्रकरण अगस्त 2017 में लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया था; एवं उनका उत्तर अप्राप्त है (मार्च 2018)।

3.3 सरकारी निधि का अनधिकृत अवधारण और आयकर का अतिरिक्त भुगतान

परियोजना की आनुषंगिक आय के गलत लेखांकन करके अपनी आय दिखाने के परिणामस्वरूप ₹ 14.49 करोड़ के सरकारी धन का अनधिकृत अवधारण और फलस्वरूप ₹ 3.09 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है जिसके लिए कम्पनी सम्बंधित सरकारों से पर्यवेक्षण शुल्क एवं निधि प्राप्त करती है।

कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2016–17 (गत वर्ष 2015–16) के लिए आयकर विवरणी दाखिल की (अक्टूबर 2016) जिसमें ₹ 51.37 करोड़ के बुक प्रॉफिट पर ₹ 10.96 करोड़ का आयकर देय दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि बुक प्रॉफिट में विभिन्न आनुषंगिक आय जैसे कि लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग और सड़क कटौती शुल्क¹¹ से आय (₹ 3.73 करोड़), राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर क्षति से आय (₹ 9.69 करोड़) और जमा राशियों पर ब्याज¹² (₹ 1.07 करोड़) सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा क्रियान्वित सड़क परियोजनाओं के समस्त व्यय सरकार द्वारा वित्त पोषित किये जाते हैं। अतः सभी ‘आनुषंगिक परियोजना आय’ को या तो परियोजना लागत से घटाना चाहिए था या सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए था। इसलिए उपरोक्त आनुषंगिक परियोजना आय को कम्पनी द्वारा अपनी आय

¹¹ कम्पनी संबंधित आवेदकों से सड़क के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने, पाइपलाइनों को बिछाने, साइन बोर्ड लगाने के लिए लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग शुल्क और सड़क कटौती शुल्क वसूलती है। सड़क कटौती के सुधार में यदि कोई व्यय होता है तो सड़क रखरखाव खाते में प्रभारित होता है जोकि सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

¹² मध्य प्रदेश शासन के अप्रयुक्त धन पर अर्जित ब्याज को कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खाते में जमा किया जाता है। हालांकि, परियोजना की आनुषंगिक आय जैसे कि लाइसेंस शुल्क आय, भूमि उपयोग शुल्क, सड़क कटौती शुल्क और क्षति से आय (₹ 13.42 करोड़) पर अर्जित ब्याज जिसे कम्पनी की स्वयं की आय के रूप में माना गया था उसे मध्य प्रदेश शासन के खाते में जमा नहीं किया गया था।

के रूप में गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप न केवल सरकारी निधि का अनधिकृत अवधारण हुआ, बल्कि ₹ 14.49 करोड़ से लाभ की अधिकता भी हुई और तदनुसार ₹ 3.09 करोड़ राशि के आयकर का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

लोक निर्माण विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि चूंकि साइट सत्यापन की प्रक्रिया में व्यय होता है और क्षति से आय एक असाधारण मद है, इसलिए लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग, सड़क कटौती शुल्क और क्षति के सन्दर्भ में एकत्र किए गए शुल्क को कम्पनी की आय के रूप में दर्शाया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी सड़क कार्यों से सम्बंधित सभी व्यय सरकारी खाते से कर रही है। इसके अलावा कम्पनी ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2016–17 से अपनी लेखांकन प्रणाली को बदल दिया और लाइसेंस शुल्क, भूमि उपयोग, सड़क कटौती शुल्क और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर क्षति से हुई सभी प्राप्तियों को अब कम्पनी द्वारा सरकार को देय दिखलाया जा रहा है। लेखांकन प्रणाली में यह परिवर्तन पुष्टि करता है कि कम्पनी पिछले वर्षों में गलत लेखा पद्धति का पालन कर रही थी।

3.4 रियायत अनुबंध निरस्त करने में विलम्ब से हानि

कम्पनी ने कार्य की धीमी प्रगति के लिए रियायतग्राही को जारी निरस्तीकरण नोटिस रद्द कर दिया और रियायत अनुबंध के निरस्तीकरण में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (कम्पनी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (48.04 किलोमीटर) के सतना-बेला सेक्षण के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई¹³ (रियायतग्राही) के साथ डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर एक रियायत अनुबंध¹⁴ किया (मई 2012) जिसकी कुल परियोजना लागत ₹ 321 करोड़¹⁵ थी। रियायतग्राही द्वारा 05 नवंबर 2012 तक ₹ 16.05 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा निधि (वाक्य 9.1) जमा करना और वित्तीय समापन¹⁶ (वाक्य 24.1.1) प्राप्त करने की आवश्यकता थी। परियोजना को निर्धारित दिनाकर¹⁷ (13 अगस्त 2013) से 730 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाना था।

रियायत अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के शुल्क का व्यय पत्रक प्राप्त करने के 15 दिवस के अंदर, स्वतंत्र अभियंता के शुल्क के आधे हिस्से की प्रतिपूर्ति कम्पनी को की जानी थी (वाक्य 23.3)। इसके अतिरिक्त, रियायत अनुबंध में रियायतग्राही द्वारा 05 नवम्बर 2012 के पश्चात निष्पादन सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने में¹⁸

¹³ तकनीकी और वित्तीय आंकलन के उपरान्त प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चयनित।

¹⁴ कम्पनी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कार्य निष्पादित करती है।

¹⁵ अनुमानित परियोजना लागत को रियायतग्राही द्वारा ₹ 483.03 करोड़ पर संशोधित किया गया जो कि रियायतग्राही की अंशपूँजी (₹ 135.32 करोड़), अनुदान और वीजीएफ (₹ 31.97 करोड़) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 315.74 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना था।

¹⁶ वित्तीय समापन का अर्थ है कि वित्तपोषण समझौतों के तहत धन की प्रारंभिक उपलब्धता के पहले की सभी शर्तों की पूर्ति।

¹⁷ वित्तीय समापन प्राप्त करने की तारीख या पहले की कोई तारीख, जो पक्षों की आपसी सहमति से निर्धारित कर सकते हैं और उसे रियायत अवधि के प्रारंभ होने की तिथि होने के रूप में समझा जाएगा। रियायतग्राही ने 262 दिनों की देरी के साथ 25 जुलाई 2013 को वित्तीय समापन प्राप्त किया। तदनुसार, कम्पनी ने 13 अगस्त 2013 को निर्धारित दिनांक मानने की घोषणा की।

¹⁸ विलम्ब होने वाले प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन सुरक्षा जमा निधि के 0.20 प्रतिशत की दर से, लेकिन अधिकतम के 20 प्रतिशत तक (वाक्य 4.3)

और वित्तीय समापन प्राप्त करने में¹⁹ विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान था (वाक्य 4.3 और 24.1.1)।

रियायतग्राही ने 269 दिनों के विलम्ब के बाद निष्पादन सुरक्षा निधि प्रस्तुत की (1 अगस्त 2013) और 262 दिनों के विलंब के बाद (25 जुलाई 2013) वित्तीय समापन प्राप्त किया। अतः रियायतग्राही से निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने में विलम्ब के लिए ₹ 3.21 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि और वित्तीय समापन प्राप्त करने में देरी के लिए ₹ 6.49 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि बकाया थी जिसे वसूलने में कम्पनी विफल रही।

हालांकि, कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी और वित्तीय संकट²⁰ का हवाला देते हुए 26 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के बाद, रियायतग्राही ने नवंबर 2014 में पूरी तरह से कार्य बंद कर दिया। चूंकि रियायतग्राही ने कार्य को पुनः प्रारंभ नहीं किया, कम्पनी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से अनुमति प्राप्त करने के बाद निरस्तीकरण नोटिस जारी किया (मई 2015)। एमओआरटीएच ने अनुमति प्रदान करते हुए कम्पनी को किसी अन्य ठेकेदार से सड़क रखरखाव का काम करवाने और उसके ब्यय को रियायतग्राही की निष्पादन सुरक्षा जमा निधि का नगदीकरण कर पूरा करने का निर्देश दिया (मई 2015)। इस बीच रियायतग्राही ने कार्य पुनः प्रारंभ किया तथा इस परियोजना में अंशपूँजी निवेश करने और अक्टूबर 2016 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया (मई 2015)। तत्पश्चात रियायतग्राही के साथ विभिन्न बैठकों के बाद कम्पनी के प्रबंध संचालक ने रियायतग्राही के खराब प्रदर्शन और एमओआरटीएच के निर्देशों को अनदेखा करते हुए निरस्तीकरण नोटिस को रद्द करने की मंजूरी प्रदान कर दी (मई 2016)। इस समय तक भी कार्य की प्रगति 100 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले केवल 35 प्रतिशत थी। हालांकि, रियायतग्राही अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सका और 36 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के बाद अगस्त 2016 में कार्य पुनः बंद कर दिया।

अतः कम्पनी ने एमओआरटीएच से अनुमति प्राप्त करने के बाद रियायत अनुबंध को अंततः निरस्त कर दिया (मई 2017)। निरस्तीकरण के समय रियायतग्राही से ₹ 17.49 करोड़ (विभिन्न चूक के लिए क्षतिपूर्ति राशि ₹ 9.70 करोड़²¹, कम्पनी द्वारा कराये गये रखरखाव कार्य के लिए ₹ 5.50 करोड़ और बकाया स्वतंत्र अभियंता शुल्क के लिए ₹ 2.29 करोड़²²) की राशि वसूली योग्य थी। तदनुसार ₹ 16.05 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा निधि का नगदीकरण किया गया (जनवरी 2017) एवं ₹ 1.44 करोड़ लंबित रहे।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2017) कि मई 2015 में निरस्तीकरण का प्रथम नोटिस जारी करने के समय कम्पनी को रियायतग्राही की कार्य पुनः प्रारंभ करने की असमर्थता के बारे में जानकारी थी। उस समय रियायतग्राही से कुल ₹ 15.18 करोड़²³ बकाया थे और इसकी वसूली के लिए निष्पादन सुरक्षा निधि पर्याप्त थी। इस प्रकार रियायत

¹⁹ 120 दिनों तक के विलम्ब के लिए, निष्पादन सुरक्षा जमा निधि पर 0.10 प्रतिशत की दर से और उसके बाद 200 दिन तक के विलम्ब के लिए, 0.20 प्रतिशत की दर से (वाक्य 24.1.1)

²⁰ ₹ 321 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से, रियायतग्राही ने परियोजना में ₹ 112.35 करोड़ के लक्ष्य (35 प्रतिशत) के विरुद्ध मात्र ₹ 83.01 करोड़ (25.86 प्रतिशत) लगाए थे।

²¹ निष्पादन सुरक्षा जमा निधि के प्रस्तुत करने में देरी की क्षति के लिए ₹ 3.21 करोड़ और वित्तीय समापन को प्राप्त करने में देरी की क्षति के लिए ₹ 6.49 करोड़।

²² कम्पनी ने स्वतंत्र अभियंता शुल्क के ब्यय पत्रक रियायतग्राही को भेजे थे (फरवरी 2015 से मार्च 2017) लेकिन रियायतग्राही द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

²³ निष्पादन सुरक्षा जमा निधि के प्रस्तुत करने में देरी की क्षति के लिए ₹ 3.21 करोड़; वित्तीय समापन को प्राप्त करने में हुई देरी की क्षति के लिए ₹ 6.49 करोड़; स्वतंत्र अभियंता शुल्क की गैर वसूली के लिए ₹ 0.65 करोड़ और कम्पनी द्वारा इस परियोजना के रखरखाव के कार्य को करने में किये गए ब्यय के लिये ₹ 4.84 करोड़।

अनुबंध की निरस्तीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप रियायतग्राही से बकाया राशि की कम वसूली के कारण ₹ 1.44 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

कम्पनी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि ऋणदाता के कार्य पूर्ण करने के आश्वासन के आधार पर अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस को रद्द किया गया था। हालांकि रियायतग्राही के द्वारा कार्य में विशेष प्रगति न करने के कारण रियायत अनुबंध को एमओआरटीएच से अनुमति लेकर अन्ततः समाप्त कर दिया गया (मई 2017)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं ही रुके हुए कार्य को पुनः प्रारम्भ न कर पाने की रियायतग्राही की अक्षमता के बारे में एमओआरटीएच को सूचित किया था (मार्च 2015)। एमओआरटीएच ने भी रियायतग्राही को अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस जारी करने और उसकी निष्पादन सुरक्षा जमा राशि का नगदीकरण करने की अनुमति प्रदान की थी (मई 2015)। इसके बावजूद प्रबंध निदेशक ने अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस को रद्द करने की स्वीकृति दी (मई 2016) और अनुबंध निरस्तीकरण में दो वर्ष का विलम्ब किया जबकि इस अवधि में कार्य की प्रगति मात्र 10 प्रतिशत थी।

प्रकरण लोक निर्माण विभाग को जुलाई 2017 में प्रेषित किया गया; एवं उनका उत्तर अप्राप्त है (मार्च 2018)।

3.5 रियायतग्राहियों से स्वतंत्र अभियंता शुल्क और उसपर ब्याज न वसूला जाना

कम्पनी रियायतग्राहियों से ₹ 8.39 करोड़ का स्वतंत्र अभियंता शुल्क और विलम्ब से हुए भुगतान पर ₹ 4.01 करोड़ का ब्याज वसूलने में असफल रही।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के संवर्धन के लिए रियायतग्राहियों के साथ रियायत अनुबंध निष्पादित करती है।

इन कार्यों के पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कम्पनी स्वतंत्र अभियंताओं को नियुक्त करती है। रियायत अनुबंध के वाक्य 23.3 के अनुसार कम्पनी द्वारा रियायतग्राही के हिस्से का भी स्वतंत्र अभियंताओं का पारिश्रमिक, लागत और व्यय पहले देय था और बाद में रियायतग्राहियों द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति नियत तिथियों पर²⁴ कम्पनियों को की जानी थी। रियायत अनुबंध के वाक्य 47.5 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा देरी से किये गए भुगतान पर ब्याज²⁵ लगाया जाना था। कम्पनी के वित्त अनुभाग का प्रमुख होने के नाते, महाप्रबंधक (वित्त), रियायतग्राही से स्वतंत्र अभियंता शुल्क की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।

मार्च 2017 के अंत में 26 परियोजनाओं²⁶ के रियायतग्राहियों से स्वतंत्र अभियंता शुल्क के लिए ₹ 25.27 करोड़ की वसूली योग्य राशि लंबित थी। इनमें से 2015–17 की

²⁴ बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (टोल + वार्षिकी) मोड के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र अभियंता शुल्क, निर्धारित दिनांक से चार छह माही किश्तों में वसूला जाना था। बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (टोल) मोड के संबंध में स्वतंत्र अभियंता शुल्क का आधा हिस्सा कम्पनी से व्यय पत्रक प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वसूल किया जाना था।

²⁵ बैंक दर से 5 प्रतिशत ज्यादा की दर पर।

²⁶ देहरदा–ईसागढ़, उज्जैन–सिंहरथ, बैतूल–सारणी–परासिया, लखनादोन–घासोर, झाबुआ–जोबट–कुक्षी, खंडवा–देहतलाई, रीवा–एमपी–यूपी सीमा, ब्यावरा–एमपी–राजस्थान सीमा रोड, दगोह–कटनी, रतलाम–सैलाना, गुना–आरोन–सिरोंज, गोर्मी–उदोतगढ़, भोपाल बायपास, बीना–कुरवाई–सिरोंज, गुना–अशोकनगर–ईशागढ़, राऊ–महौं–मंडलेश्वर, बमीठा–पन्ना–सतना, सीधी–सिंगराली, वारासिवनी–लालबर्रा, महौं–घाटाबिल्लोद, बदनावर–थंडला, बुदनी–रेहटी, बडवाह–धामनोद, थंडला–लिमड़ी, पाटन–तेंदुखेड़ा–रेहली और हटा–पतेहुर रोड।

अवधि के दौरान पूर्ण हुई 12 परियोजनाओं (नौ राज्य राजमार्गों, दो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक राज्य बाईपास रोड का विस्तार) की नमूना जांच परीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया (अगस्त 2017):

- कम्पनी के महाप्रबंधक (वित्त) ने 12 रियायतग्राहियों से ₹ 23.53 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क की मांग करने में समय पर पहल नहीं की। स्वतन्त्र अभियंता शुल्क का दावा करने में 520 दिनों तक की देरी थी जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राहियों से बकाया राशि की वसूली में देरी हुई और इसके फलस्वरूप ₹ 81.93 लाख के ब्याज की हानि हुई।
- उपर्युक्त मामलों में रियायतग्राहियों से ₹ 23.53 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क में से ₹ 15.15 करोड़ की वसूली, मांग की तारीख से 21 दिनों से लेकर 1,865 दिनों तक के विलम्ब से की गई थी। इसके अलावा आठ परियोजनाओं के संबंध में, जहां निर्माण पूर्ण हो चुका था, महाप्रबंधक (वित्त) रियायतग्राहियों से ₹ 8.39 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क वसूलने में असफल रहे (**परिशिष्ट -3.1**)। नियमित अनुसरण की कमी, भविष्य में भुगतान करने के रियायतग्राहियों के आश्वासन के आधार पर महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा प्रबंध निदेशक की मंजूरी लेकर, लंबित स्वतन्त्र अभियंता शुल्क वसूले बिना रियायतग्राहियों की निष्पादन सुरक्षा निधि वापस करना और एस्क्रो समझौते में कम्पनी की देनदारियों की एस्क्रो खाते से वसूली को कम प्राथमिकता दिया जाने के कारणों से बकाये की वसूली नहीं हो सकी या वसूली में विलम्ब हुआ।
- लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि स्वतन्त्र अभियंता शुल्क देनदारियों की विलम्ब से वसूली/गैर-वसूली के संबंध में अनुबंध के वाक्य 47.5 की गलत व्याख्या के कारण महाप्रबंधक (वित्त) ने रियायतग्राहियों से ₹ 4.01 करोड़ की ब्याज राशि वसूल नहीं की (**परिशिष्ट -3.1**)।

इस प्रकार महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा मांग को समय से जारी न करने, रियायतग्राहियों से अभियंता शुल्क की प्राप्ति न करने और स्वतंत्र अभियंता शुल्क की देरी से प्राप्ति पर ब्याज की वसूली न करने के कारण कम्पनी ने रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ पहुँचाया और ₹ 12.40 करोड़²⁷ की हानि उठाई।

लोक निर्माण विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि स्वतंत्र अभियंता शुल्क के बकाया की वसूली के मामले को एस्क्रो बैंक के साथ उठाया गया है। ब्याज की वसूली के संबंध में यह कहा गया कि स्वतंत्र अभियंता शुल्क पर ब्याज लेने के लिए रियायत अनुबंध में कोई निश्चित प्रावधान नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त मामलों में कम्पनी द्वारा स्वतंत्र अभियंता शुल्क की वसूली रियायतग्राही अथवा एस्क्रो खाते से अब तक (नवंबर 2017) नहीं की गई है। साथ ही रियायत अनुबंध का वाक्य 47.5 रियायतग्राहियों द्वारा सभी विलंबित भुगतानों पर ब्याज अधिरोपित करने के बारे में बहुत स्पष्ट है।

²⁷ ₹ 8.39 करोड़ का स्वतंत्र अभियंता शुल्क + देरी से हुए भुगतान पर ब्याज ₹ 4.01 करोड़।

मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड

3.6 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया जाना

स्वीकृत कार्यप्रणाली से विचलन करके महंगी बिजली के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 27.66 करोड़ राशि का अतिरिक्त व्यय हुआ और मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) को इतना ही अनुचित लाभ प्रदाय हुआ।

मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने निर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा में बिजली के क्रय के लिए विभिन्न बिजली आपूर्तिकर्ताओं²⁸ के साथ बिजली क्रय समझौते निष्पादित किये। मांग की तुलना में विभिन्न दीर्घकालिक/मध्यम अवधि के स्रोतों²⁹ से पर्याप्त बिजली की उपलब्धता को देखते हुए कम्पनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने बिजली का क्रय मेरिट ऑर्डर डिस्पेच (एमओडी) पद्धति के अनुसार करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2014) जो कि सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण तरीके से बिजली के क्रय की सुविधा प्रदान करती है। कम्पनी के द्वारा अपनाई गई एमओडी पद्धति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य की परिधि में सभी दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के स्रोतों की बिजली की लागत का निर्धारण, स्थिर प्रकृति के व्ययों को छोड़कर किया गया है।

तदनुसार, प्रत्येक माह मूल्य³⁰ के अवरोही क्रम में एमओडी सूची तैयार की जाती है। जब तक कोई विपरीत कारण न हो, कम्पनी को उस स्रोत से बिजली का क्रय नहीं करना चाहिए जो कि एमओडी सूची में उच्च हो (आपूर्तिकर्ता महंगी बिजली की पेशकश कर रहा हो), जब तक एमओडी सूची में नीचे स्थान के अन्य स्रोत (आपूर्तिकर्ता सस्ती बिजली की पेशकश कर रहा हो) से बिजली उपलब्ध हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यक) ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड से सस्ती बिजली³¹ की उपलब्धता के बावजूद अधिक दर पर³² मैसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) से ₹ 74.57 करोड़ (₹ 30.00 करोड़ के स्थाई प्रभार सहित) के मूल्य पर 70.76 मिलियन यूनिट्स का क्रय किया (अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 तक)। मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यक) ने न तो बीओडी की मंजूरी अर्जित की और न ही बिजली खरीद हेतु सबसे व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण तरीके अपनाने के निदेशक मंडल के निर्णय से विचलन करने के लिए किसी भी औचित्य को दर्ज किया। परिणामस्वरूप, टीपीएल से अनुबंधित बिजली न खरीदने पर देय स्थाई प्रभार पर विचार करने के बाद भी ₹ 27.66 करोड़³³ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

²⁸ नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, दामोदर वैली कार्पोरेशन, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (टोरेंट पावर लिमिटेड, बीएलए पावर, जेपी बीना, लैंको-अमरकंटक, एमबी पावर, एस्सार पावर इत्यादि), सासन पावर प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के बिजली संयंत्र।

²⁹ 'मध्यम अवधि बिजली क्रय समझौते' का अर्थ है कि एक वर्ष या अधिक अवधि किन्तु सात वर्ष से कम अवधि के लिए बिजली क्रय समझौता और 'दीर्घकालिक बिजली क्रय समझौते' का अर्थ है कि न्यूनतम सात वर्ष की अवधि के लिए बिजली क्रय समझौता।

³⁰ ऊर्जा की परिवर्तनीय लागत, सेंट्रल ड्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) हानि, और जनरेटिंग स्टेशन से मध्य प्रदेश की परिधि में बिजली के परिवहन के लिए कर और डचूटी समिलित हैं

³¹ अप्रैल 2015 – ₹ 2.54 प्रति यूनिट, मई 2015 – ₹ 2.38 प्रति यूनिट, जून 2015 – ₹ 2.25 प्रति यूनिट और जुलाई 2015 – ₹ 2.37 प्रति यूनिट।

³² अप्रैल 2015 – ₹ 10.51 प्रति यूनिट की दर से 21.36 एमयू मई 2015 – ₹ 9.62 प्रति यूनिट की दर से 21.48 एमयू जून 2015 – ₹ 9.60 प्रति यूनिट कि दर से 20.16 एमयू और जुलाई 2015 – ₹ 15.60 प्रति यूनिट दर से 7.76 एमयू।

³³ अप्रैल से जुलाई 2015 के दौरान 70.76 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद के लिए टीपीएल को भुगतान की गई राशि: ₹ 74.57 करोड़ – (एनटीपीसी से खरीदे जाने पर भुगतान की जाने वाली राशि: ₹ 16.91 करोड़ + टीपीएल को देय निश्चित लागत: ₹ 30 करोड़)

ऊर्जा विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि टीपीएल को देय स्थाई प्रभार के अलावा टेक और पे (टॉप)³⁴ प्रभार की वित्तीय देयता से बचने के लिए बिजली क्रय की गई थी। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है कि कम्पनी ने टीपीएल से बिजली खरीदने का निर्णय लेने के समय टॉप प्रभार की देयता के प्रभाव का आंकलन नहीं किया था। इसके अलावा, अगर कम्पनी को टॉप प्रभार का भुगतान भी करना पड़ता तो उसका क्षतिपूरण मेक-अप गैस³⁵ के माध्यम से बाद की अवधि में किया जा सकता था और इस प्रकार टॉप प्रभार एक निश्चित देयता नहीं है।

ऊर्जा विभाग ने इसके साथ यह भी उत्तर दिया कि क्रय में सम्मिलित अतिरिक्त लागत अंततः टैरिफ संशोधन के माध्यम से पुनः प्राप्त की जाएगी और इसलिए कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई है। यह उत्तर महंगी बिजली खरीदने के लिए तर्कसंगत नहीं है क्योंकि महंगी बिजली का क्रय, कम्पनी की घोषित नीति के विपरीत है और अतिरिक्त क्रय लागत को उपभोक्ताओं को हस्तांतरित करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है।

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

3.7 दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य व्यय

जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ अनुबंध के निष्पादन में हुई देरी के परिणामस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ के दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974, के अनुसार किसी भी औद्योगिक उद्देश्य के लिए निजी/सरकारी संगठन को निर्धारित दरों पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जल की आपूर्ति की जा सकती है और जल का उपयोग करने के लिए एक अनुबंध किया जाएगा। इसके अलावा तय मात्रा से अधिक जल के उपयोग और जल के किसी भी अन्य अनधिकृत उपयोग के मामले में सामान्य दर के 1.5 गुने की दर से जल प्रभार देय होगा।

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन (एसएसटीपीएस) की दो नव निर्मित इकाइयों³⁶ ने क्रमशः फरवरी 2014 और दिसंबर 2014 से वाणिज्यिक उत्पादन (सीओडी) प्रारम्भ किया। सीओडी से पहले एसएसटीपीएस ने अपने परीक्षण चरण (अप्रैल 2013 से फरवरी 2014) के दौरान इंदिरा सागर जलाशय³⁷ से 3.89 लाख क्यू.मी. जल का उपयोग³⁸ कर लिया था।

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) और ऊर्जा विभाग ने एमपीपीजीसीएल को अगस्त 2013 तक प्रत्येक पावर स्टेशन के लिए अलग से जल आपूर्ति अनुबंध करने का निर्देश दिया था (जुलाई 2013)। निर्देश के अनुपालन में एमपीपीजीसीएल ने एसएसटीपीएस को छोड़कर सभी पावर स्टेशनों के लिए अनुबंध निष्पादित किये (दिसंबर 2013)।

³⁴ टीपीएल के गैस आपूर्ति अनुबंध के वाक्य 14.1 के अनुसार, टॉप प्रभार देयता, टीपीएल द्वारा गैस सप्लायर को भुगतान की जाने वाली राशि है, जो टीपीएल द्वारा अनुबंध के अनुसार उपयोग न की गई/न उठाई गई ईंधन की मात्रा के लिए है (वार्षिक औसत अनुबंधित मात्रा का कम से कम 90 प्रतिशत), जिसे बिजली क्रय अनुबंध की शर्तों के अनुसार टीपीएल द्वारा कम्पनी को हस्तांतरित किया जाएगा।

³⁵ टीपीएल के गैस आपूर्ति अनुबंध के वाक्य 6.3 के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा पहले से भुगतान किये गए (खरीदे गए) लेकिन उपयोग न किये ईंधन का क्रेडिट दिया जाता है और अनुबंध के कार्यकाल (31 मार्च 2028 तक) के दौरान बाद की खरीद में समायोजित किया जा सकता है, जिसे कि मेक-अप गैस के रूप में जाना जाता है।

³⁶ इकाई-1 और इकाई-2, प्रत्येक 600 मेगावॉट की क्षमता वाली

³⁷ जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), मध्य प्रदेश शासन के नियंत्रण में।

³⁸ डब्ल्यूआरडी द्वारा जल आवंटन (मई 2012) के आधार पर एमपीपीजीसीएल ने अप्रैल 2013 से जनवरी 2014 तक द्रायल परीक्षण के दौरान 3.89 लाख क्यू.मी. जल का उपयोग किया था।

दिसंबर 2013 में एसएसटीपीएस के लिए अनुबंध नहीं करने के कारण, एमपीपीजीसीएल के परियोजना उत्पादन शाखा द्वारा जल आवंटन शुल्क और सुरक्षा निधि³⁹ जमा करने में हुई देरी थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2017) कि जबकि एसएसटीपीएस ने अप्रैल 2013 से जल का उपभोग प्रारंभ कर दिया था, डब्ल्यूआरडी ने जल कर की गणना के लिए इकाई-1 की सीओडी (फरवरी 2014) को ही वास्तविक जल उपभोग प्रारंभ करने की तिथि मानने के लिए सहमति व्यक्त की (जनवरी 2015) और अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 के दौरान जल की वास्तविक खपत के लिए ₹ 5.50 प्रति क्यू.मी. की साधारण दर लगाई। यद्यपि, एसएसटीपीएस द्वारा इकाई-1 की सीओडी की तारीख से 12 माह के विलम्ब के बाद जल की आवंटित मात्रा के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया (फरवरी 2015)। विलम्ब के कारण, संचालन एवं संधारण (हाइडल) शाखा के अधिकारियों द्वारा अप्रैल 2013 से बकाया जल प्रभार का समय पर भुगतान करने की पहल में कमी और अनुबंध प्रोफोर्मा में आगामी इकाइयों⁴⁰ की सीओडी भरने में की गई देरी थी क्योंकि डब्ल्यूआरडी ने एसएसटीपीएस की सभी इकाइयों के लिए एकल अनुबंध के लिए जोर दिया था।

समझौते की अनुपस्थिति में, डब्ल्यूआरडी ने फरवरी 2014 से जनवरी 2015 के दौरान किये गए जल के उपभोग⁴¹ को अनधिकृत माना और ₹ 31.45 करोड़ की मॉग की (दिसंबर 2015) जिसमें ₹ 6.70 करोड़ का शास्ति प्रभार सम्मिलित था (₹ 5.50 प्रति क्यू.मी. की सामान्य दर के मुकाबले ₹ 8.25 प्रति क्यू.मी. की दर से) और एमपीपीजीसीएल ने अगस्त 2016 में इसका भुगतान कर दिया।

इस प्रकार एमपीपीजीसीएल द्वारा जल उपभोग समझौता निष्पादित करने में हुई देरी से ₹ 6.70 करोड़ की शास्ति का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

ऊर्जा विभाग ने कहा (फरवरी 2018) कि अनुबंध के निष्पादन में देरी प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण हुई थी जैसे कि इकाई-3 और इकाई-4 के लिए स्थापना तिथियों का संग्रह जिनकी अनुबंध प्रोफार्मा में भरे जाने की आवश्यकता थी, प्रारूप अनुबंध की पुष्टि, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की प्राधिकृति और अनुबंध के निष्पादन की अन्य औपचारिकताएं। एमपीपीजीसीएल ने यह भी दावा किया कि शास्ति शुल्क की माफी से संबंधित प्रकरण अभी भी डब्ल्यूआरडी के साथ पत्राचाराधीन था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध निष्पादित करने में हुई देरी के कारण एमपीपीजीसीएल द्वारा जल आवंटन शुल्क और सुरक्षा निधि जमा करने में देरी, बकाया जल प्रभारों का भुगतान करने में देरी और जल का उपभोग करने से पहले अनुबंध निष्पादन की प्रक्रिया शुरू करने में विफलता थे। इसके अलावा इकाई-3 और इकाई-4 की नियत स्थापना तिथियाँ कम्पनी के पास पहले से उपलब्ध थीं, इसलिए इस कारण से देरी उचित नहीं थी। साथ ही, मई 2016 में डब्ल्यूआरडी द्वारा शास्ति शुल्क की माफी सम्बन्धी एमपीपीजीसीएल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और एमपीपीजीसीएल ने पहले ही पूरा भुगतान कर दिया था।

³⁹ डब्ल्यूआरडी द्वारा संशोधित जल आवंटन के कारण कम्पनी को ₹ 10.40 करोड़ का जल आवंटन शुल्क और सुरक्षा निधि जमा करने की आवश्यकता थी।

⁴⁰ 660 मेगावॉट की क्षमता वाली इकाई-3 और इकाई-4 जो की निर्माणाधीन थी, उनकी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की नियत दिनांक क्रमशः मार्च 2018 और जुलाई 2018 थी।

⁴¹ 54,22,817 क्यू.मी.

3.8 जल प्रभार का परिहार्य व्यय

दो पावर स्टेशन इकाइयों के बंद होने के पश्चात जल की अनुबंधित मात्रा कम करने की कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चर्चाई (एटीपीएस) जिसकी क्षमता 450 मेगावाट⁴² की है, का स्वामित्व और संचालन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (एमपीपीजीसीएल) द्वारा किया जाता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)⁴³ ने 450 मेगावॉट वाले थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रति दिन 43,200 क्यूबिक मीटर (क्यूमी) जल की मात्रा के मानदंड की सिफारिश की थी (जनवरी 2012)। हालांकि, प्रबंध संचालक ने सीईए की सिफारिशों पर विचार किए बिना एटीपीएस के लिए प्रति दिन 61,167 क्यू मी. जल (अनुबंधित मात्रा) की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग (एमपीडब्ल्यूआरडी) के साथ जल आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किया (दिसंबर 2013)। प्रति दिन 17,967 क्यू मी. की अधिक मात्रा के लिए जल आपूर्ति समझौते को निष्पादित करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

यह अनुबंध, मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 और मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974⁴⁴ के प्रावधानों के अधीन था और अनुबंध की तारीख से 30 साल की अवधि के लिए वैध था। वास्तविक खपत के अनुसार, न्यूनतम अनुबंधित मात्रा के 90 प्रतिशत के जल प्रभार देयक, एमपीडब्ल्यूआरडी द्वारा मासिक आधार पर जारी किये जाते हैं। मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 की धारा 85 के अनुसार, एमपीडब्ल्यूआरडी और एमपीपीजीसीएल की आपसी सहमति से अनुबंध को परिवर्तित या निरस्त किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2017) कि एटीपीएस की तीन में से दो इकाइयाँ (इकाई-2 और इकाई-1) क्रमशः मई 2014 और जनवरी 2015 में बंद हो गई थीं, जिसका अनुमोदन⁴⁵ सीईए ने मार्च 2016 में किया था। इकाइयों के बंद होने के फलस्वरूप, एटीपीएस की कुल क्षमता 53 प्रतिशत⁴⁶ से कम हो गई थी और मात्र एक इकाई (210 मेगावॉट) ही कार्यरत थी। परिणामस्वरूप जल की आवश्यकता भी कम हो गई थी। जबकि, आगामी इकाई (660 मेगावॉट क्षमता वाली, जिसकी स्थापना 2024–25 में प्रस्तावित थी) के लिए जल की आवश्यकता बताते हुए जल आपूर्ति अनुबंध की अनुबंधित मात्रा नहीं घटाई गई (दिसम्बर 2017)।

अतः एमपीपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक ने बिना किसी लिखित कारण के सीईए द्वारा निर्धारित मानदंड से अधिक मात्रा के जल के लिये अनुबंध निष्पादित किया। इसके अलावा, मार्च 2016 में पावर स्टेशन इकाइयों के विघटन के लिए सीईए की मंजूरी के बाद भी, एमपीपीजीसीएल आनुपातिक रूप से जल की अनुबंधित मात्रा को कम करने में असफल रही। परिणामस्वरूप, एमपीपीजीसीएल ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 1.66 करोड़⁴⁷ का परिहार्य व्यय किया।

⁴² इकाई -1 (120 मेगावॉट), इकाई -2 (120 मेगावॉट) और इकाई -3 (210 मेगावॉट)।

⁴³ सीईए बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नियामक आयोगों को सलाह देने के लिए शीर्ष निकाय (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के तहत) है।

⁴⁴ मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974 बनाया।

⁴⁵ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (एम) के अनुसार, एमपीपीजीसीएल को एटीपीएस की इकाइयों को बंद करने के लिए सीईए से संपर्क करने की आवश्यकता थी।

⁴⁶ एटीपीएस की क्षमता 240 मेगावॉट कम हो गई अर्थात् 450 मेगावॉट से 210 मेगावॉट।

⁴⁷ अतिरिक्त अनुबंधित मात्रा का 90 प्रतिशत अर्थात् 1,07,16,474 क्यूमी. x समझौते के अनुसार जल की दर ₹ 1.55 प्रति क्यू मी.

ऊर्जा विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि उसने बंद हुई इकाइयों के स्थान पर नई इकाई की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है और इसलिए इस समय जल आवंटन त्याग देना उचित नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एटीपीएस में नई इकाई के निर्माण के लिए डीपीआर निर्माणाधीन है (फरवरी 2018) और एमपीपीजीसीएल ने स्वयं ही इसकी स्थापना तिथि 2024–25 में होने का अनुमान लगाया है। नई इकाई के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने और उसके द्वारा जल का उपभोग करने के लिए काफी समय बाकी होने के बावजूद, जल की अप्रयुक्त मात्रा के लिए भुगतान जारी रखना उचित नहीं है।

मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

3.9 आयकर का परिहार्य भुगतान

शासन से आवश्यकता से अधिक ₹ 5.00 करोड़ के संधारण अनुदान के आहरण के कारण ₹ 1.63 करोड़ के अतिरिक्त आयकर का परिहार्य भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), मध्य प्रदेश राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। चूंकि कम्पनी की अपनी कोई विशेष संचालन आय नहीं थी, कम्पनी के प्रस्ताव (अप्रैल 2012) के आधार पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी)⁴⁸, मध्यप्रदेश शासन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए कम्पनी को संधारण अनुदान के रूप में ₹ 10 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी (फरवरी 2014)। तदनुसार, कम्पनी ने अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए वर्ष 2013–14 से 2016–17 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 2.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2016) कि अनुदान के लिए कम्पनी का प्रस्ताव केवल संचालन से आय पर आधारित था और उसमें अन्य स्त्रोत से आय पर ध्यान नहीं दिया गया था। अनुदान मांगने के औचित्य के संबंध में ईएफसी द्वारा पूछताछ (मई 2012) के उत्तर में कम्पनी ने स्पष्ट किया था (जुलाई 2012) कि नियमित आय की अनुपस्थिति में, कम्पनी पिछले वर्षों की संचित निधि और उस पर ब्याज की आय पर निर्भर है, जो कि साल दर साल कम्पनी की गतिविधियों के विस्तार के परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि के कारण कम होती जा रही है। कम्पनी का स्पष्टीकरण सही नहीं था क्योंकि कम्पनी की संचित निधि वास्तव में बढ़ रही थी⁴⁹ और वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान ब्याज और अन्य स्रोतों की आय उसके प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन की ओर से संधारण अनुदान के बजटीय समर्थन की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि तालिका क्र. 3.3 में विस्तृत है।

⁴⁸ ईएफसी पांच वर्ष की योजना अवधि के लिए किसी नई योजना/ परियोजना के तहत व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। ईएफसी का नेतृत्व प्रधान सचिव (वित्त) करते हैं और इसमें प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव, सचिव (वित्त) और सदस्य सचिव (राज्य योजना आयोग) सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं।

⁴⁹ कम्पनी की संचित निधि (संचय और आधिकर्य) 2011–2012 के अंत में ₹ 8.14 करोड़ से बढ़कर 2013–2014 के अंत में ₹ 12.15 करोड़ हो गयी।

तालिका संख्या 3.3			
(₹ करोड़ में)			
वित्तीय वर्ष	2013–14	2014–15	योग
क) संचालन से आय	0.12	0.11	0.23
ख) ब्याज से आय	3.12	2.17	5.29
ग) अन्य स्त्रोतों से आय (संधारण अनुदान के अतिरिक्त)	0.79	0.84	1.63
घ) = (क+ख+ग)	4.03	3.12	7.15
ङ) प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान	2.50	2.50	5.00
च) कुल राजस्व (घ+ङ)	6.53	5.62	12.15
छ) प्रशासनिक व्यय	2.21	2.90	5.11
ज) लाभ (च-छ)	4.32	2.72	7.04
झ) आयकर विवरणी के अनुसार आय	4.37 ⁵⁰	2.72	7.09
ज) प्रशासनिक अनुदान घटाने के बाद आयकर विवरणी के अनुसार आय = (झ) – ₹ 2.50 करोड़	1.87	0.22	2.09

इस प्रकार सरकारी अनुदानों का आवश्यकता से अधिक आहरण के कारण कम्पनी ने वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान ₹ 5.00 करोड़ का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.63 करोड़⁵¹ के अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा।

कम्पनी ने उत्तर दिया (जून 2017) कि संचित निधि के निवेश से होने वाली आय को कम्पनी की दैनिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए धन के स्त्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश शासन से संधारण अनुदान की मांग की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संचित निधि पर ब्याज की आय भी कम्पनी की आय का भाग है, जो कि उसके प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

प्रकरण मई 2017 में वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2018)।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.10 कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली

कम्पनी ने ठेकेदारों से ₹ 1.44 करोड़ राशि के कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली की और मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल को देय ब्याज और शास्ति का वहन किया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 3(1) के अनुसार कम्पनी को एक नियोक्ता की तरह ठेकेदारों द्वारा किये गए कम्पनी के निर्माण कार्यों की कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत के समतुल्य, कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती करनी थी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस नियम, 1998 (उपकर नियम) के नियम 5(3) के अनुसार उपकर एकत्रित होने के 30 दिन के अन्दर, उपकर की राशि को मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बोर्ड) में जमा किया जाना चाहिए। इसके आलावा, उपकर नियम के

⁵⁰ आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ₹ 0.05 करोड़ के व्यय की अस्वीकृति के कारण आयकर विवरणी के अनुसार कर योग्य आय कम्पनी के लाभ से अधिक है।

⁵¹ ₹ 5.00 करोड़ x 30 प्रतिशत आयकर + कर पर 5.00 प्रतिशत अधिभार + 3.00 प्रतिशत सेस।

नियम 8 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर बोर्ड को उपकर की किसी भी राशि का भुगतान करने की विफलता की दशा में, प्रत्येक माह या उसके किसी भाग की देरी के लिए बकाया राशि पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। नियम 9 के अनुसार बकाया उपकर की राशि के बराबर तक शास्ति लगाने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की रुरल प्रोजेक्ट शाखा ने फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ठेकेदारों को 21 निर्माण कार्य प्रदान किये (दिसम्बर 2010 से नवम्बर 2012 तक)। जिसमें से ठेकेदार के खराब निष्पादन के कारण 14 ठेके अप्रैल 2012 और जून 2015 के मध्य रद्द किये गये। कम्पनी और ठेकेदार के बीच हुए अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को नगर निगम, राज्य या राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आंकित किए गए सभी कर, ड्यूटी, लेवी और प्रभारों का वहन करना था। तदनुसार, मुख्य वित्तीय अधिकारी की अध्यक्षता में कम्पनी की वित्त शाखा को रद्द हुए कार्यों⁵² के ठेकेदारों से ₹ 1.72 करोड़⁵³ के श्रम कल्याण उपकर की वसूली करनी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी की वित्त शाखा ने ₹ 1.44 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुये केवल ₹ 0.28 करोड़⁵⁴ ही वसूल किये थे। इसके अलावा, चूंकि कम्पनी ने बकाया राशि (₹ 1.44 करोड़) का भुगतान बोर्ड को नहीं किया, अतः नियम 8 के तहत ब्याज (₹ 0.94 करोड़) के साथ साथ नियम 9 के तहत शास्ति (₹ 1.44 करोड़) के भुगतान का दायित्व भी कम्पनी पर रहा।

ऊर्जा विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि कम्पनी ने रद्द हुए कार्यों के ठेकेदारों से शेष उपकर की राशि वसूलने के लिए पहल की है और राशि प्राप्त होने पर तत्काल बोर्ड को प्रेषित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी दो से पांच वर्ष उपरान्त भी ठेकेदारों से बकाया राशि वसूलने में असफल रही है।

यह ध्यान देने योग्य है कि, लेखापरीक्षा ने दो बिजली क्षेत्र के उपक्रमों⁵⁵ के संबंध में पिछले वर्षों में कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली के मामलों को प्रतिवेदित किया था। हालांकि, एक⁵⁶ उपक्रम ने बाद में ठेकेदारों से पूर्ण राशि की वसूली कर ली है, परन्तु कर्मकार कल्याण उपकर की कम/न वसूली के बार बार होने वाले मामलों से संकेत मिलता है कि सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रही है।

3.11 सक्रिय वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ब्याज आय की हानि

कम्पनी ने कॉरपोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) सुविधा का लाभ नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.79 करोड़ ब्याज की आय की हानि हुई।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), मध्य प्रदेश राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली वितरण का व्यवसाय करती है।

कम्पनी 31 मार्च 2016 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), भोपाल के साथ 12 चालू खातों का संचालन कर रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक मूल्य वर्धित

⁵² कुल सात चल रहे अनुबंधों में से, चार अनुबंधों में कर्मकार कल्याण उपकर वसूल किया गया था और शेष तीन अनुबंधों में कर्मकार कल्याण उपकर नगण्य था (₹ 0.04 करोड़)।

⁵³ 146.55 करोड़ मूल्य के आपूर्ति हिस्से पर ₹ 1.47 करोड़ और ₹ 25.44 करोड़ मूल्य के निर्माण हिस्से पर ₹ 0.25 करोड़

⁵⁴ आपूर्ति हिस्से पर ₹ 0.03 करोड़ और निर्माण हिस्से पर ₹ 0.25 करोड़

⁵⁵ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 49.39 लाख की कम वसूली) वर्ष 2014–15 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मध्य प्रदेश शासन— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर) में सम्मिलित और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 5.93 करोड़ की कम वसूली) वर्ष 2015–16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (मध्य प्रदेश शासन— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर) में सम्मिलित।

⁵⁶ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

सेवा की पेशकश कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को अपने चालू खाते के अतिरिक्त धन को कॉरपोरेट लिकिड टर्म डिपॉजिट योजना (सीएलटीडी) के माध्यम से लाभदायक तरीके से निवेश करने की सुविधा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत चालू खाते में ₹ 50,000 की सीमा से अधिक की राशि स्वतः सीएलटीडी में स्थानांतरित हो जाती है, जिस पर सावधि जमा पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2016) कि कम्पनी अपने इन सभी 12 चालू खातों के लिए सीएलटीडी सुविधा का लाभ लेने में विफल रही। इन खातों में कम्पनी ने 2014–16 की अवधि के दौरान, प्रत्येक पखवाड़े में ₹ 194.35 करोड़ तक का न्यूनतम धन बनाए रखा था जिससे ₹ 9.79 करोड़ की ब्याज आय नहीं मिल पाई। कम्पनी सीएलटीडी सुविधा का लाभ लेने में विफल रही और लेखापरीक्षा द्वारा चूक बताये जाने के बाद ही कम्पनी ने अप्रैल 2016 से सीएलटीडी सुविधा का लाभ उठाया।

ऊर्जा विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017)।

(भवानी शंकर)

भोपाल

दिनांक: 18 अगस्त 2018

महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महाजन)

नई दिल्ली

दिनांक: 23 अगस्त 2018

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक